बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.03.2022 की कार्यवाही

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, कानपुर रोड,
झाँसी(उ0प्र0)–284128

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

दिनांक 29.03.2022 की वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही

स्थान : कुलपति समिति कक्ष
समय : पूर्वान्ह 11:00 बजे
दिनांक : 29.03.2022

उपस्थिति,

1. –प्रो. मुकेश पाण्डेय कुलपति	–	अध्यक्ष
2. –डा0 राजेश प्रकाश क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी झांसी मण्डल, झांसी (सचिव, उच्च शिक्षा नामित)	–	सदस्य
3. –श्री रामकृपाल बिन्द अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, झांसी मण्डल, झांसी (सचिव, वित्त अधिकारी)	–	सदस्य
4. –श्री रामपाल मुख्य कोषाधिकारी कोषागार, झांसी	–	सदस्य
5. –श्री विनय कुमार सिंह कुलसचिव	–	सदस्य
6. –श्री राजबहादुर परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य
7. –वसी मोहम्मद वित्त अधिकारी	–	सदस्य सचिव

वित्त समिति की कार्यवाही का विवरण

(क) वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.10.2021 की सम्पुष्टि पर विचार।

समिति की कार्यवाही –

वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.10.2021 की सम्पुष्टि समिति द्वारा की गई।

1.प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 01

वित्तीय वर्ष 2020–21 का वास्तविक, वर्ष 2021–22 का पुनरीक्षित एवं वर्ष 2022–23 का अनुमानित आय–व्ययक माननीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। आय–व्ययक की प्रति संलग्न है।

समिति की कार्यवाही –

समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 का वास्तविक, वर्ष 2021–22 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुमानित आय–व्ययक का अवलोकन कर अनुमोदित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में आय रू. 151.61 करोड़, व्यय रू. 147.00 करोड़ तथा बचत रू. 4.60 करोड़ का आय–व्ययक में प्राविधान किया गया है। निर्धारित मदों अंतर्गत उपमदों में धनराशियों में विचलन अनुमन्य है।

2. प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 02

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए विश्वविद्यालय के लेखों का सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा मिलान एवं ऑडिट कर बैलेंस शीट तैयार की गई है जो कि माननीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। बैलेन्स शीट की प्रति संलग्न है।

समिति की कार्यवाही –

विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2020–21 की बैलेन्स शीट जोकि सनदी लेखाकार से तैयार कराई गई है का अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 03

शिक्षकों के पेंशनरी अंशदान (कैपिटलाइज्ड बैल्यू ऑफ पेंशन) हस्तातंरण के सम्बंध में–

1. डॉ0 शमीम अंसारी, पूर्व प्रवक्ता– अर्थशास्त्र एवं वित्त संस्थान का चयन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होने के उपरांत उन्हें विश्वविद्यालय से दिनांक 23.04.2017 को कार्यमुक्त कर दिया गया

था। उनकी सेवाएं पेंशनरी एवं जी0पी0एफ0 से अच्छादित थी। डॉ0 अंसारी को दिनांक 11.03.2002 से 23.04.2017 तक की कुल सेवाएं 15 वर्ष 01 माह 12 दिन का पेंशनरी अंशदान की धनराशि रू. 53,56,587/– दिये जाने की अनुमति मा0 कुलपति जी द्वारा दिनांक 07.12.2021 को प्रदान की गई है। जिसे वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

2. डॉ0 महेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व प्रवक्ता– पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग का चयन डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में होने के उपरांत उन्हें विश्वविद्यालय से दिनांक 10.08.2011 को कार्यमुक्त कर दिया गया था। उनकी सेवाएं पेंशनरी एवं जी0पी0एफ0 से अच्छादित थी। डॉ0 सिंह को दिनांक 28.02.2002 से 10.08.2011 तक की कुल सेवाएं 09 वर्ष 05 माह 13 दिन का पेंशनरी अंशदान की धनराशि रू. 9,24,137/– दिये जाने की अनुमति मा0 कुलपति जी द्वारा दिनांक 16.12.2021 को प्रदान की गई है। जिसे वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही –

डॉ0 शमीम अंसारी एवं डॉ0 महेन्द्र प्रताप सिंह के पेंशनरी अंशदान को उनके सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को भेजे जाने की अनुमति समिति द्वारा प्रदान की गयी।

4. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 04**

पीएच0डी0 शोधार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बंध में।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय उच्च गुणवत्ता के अध्ययन एवं शोध का केन्द्र रहा है। यहां पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 के आलोक में वर्ष 2014 से पीएच0डी0 कोर्स वर्क एवं शोध कार्य कराये जा रहे है। दिनांक 22.12.2021 को संकायाध्यक्षों की बैठक में विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में संचालित 24 विषयों में पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय में प्रवेश परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र को (सम्बन्धित विषय में न्यूनतम छात्र संख्या 03 होने पर) शोध छात्रवृत्ति रू0 15,000/– प्रतिमाह विभिन्न शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यवाही निदेशक, एकेडमिक द्वारा की जायेगी। शोध छात्रवृत्ति का प्रस्ताव माननीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही –

समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

5. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 05**

बी.यू.आई.सी. में कार्यरत 03 ऑपरेशन स्टाफ को प्रति माह दिये जाने वाले मानदेय में बढ़ोत्तरी के सम्बंध में।

बी0यू0आई0सी0 में कार्यरत ऑपरेशन स्टाफ श्री दलवीर सिंह राणा, कुक, श्री पुष्कर भट्ट, रूम अटेण्डेन्ट एवं श्री रमेश कुमार, रूम अटेण्डेन्ट को पूरे माह ड्यूटी करनी पड़ती है एवं साथ ही कभी–कभी 12 से 16 घण्टे कार्य किया जाता है। इन कर्मियों को वेतन के अतिरिक्त प्रत्येक माह रू. 500/– का अतिरिक्त मानदेय वर्ष 2004 से भुगतान किया जा रहा है। प्रभारी बी.यू.आई.सी. के प्रस्ताव एवं कुलसचिव की संस्तुति पर माननीय कुलपति जी की स्वीकृति दिनांक 07.12.2021 के अनुसार बी. यू.आई.सी. में कार्यरत कुल 03 ऑपरेशन स्टाफ को अतिरिक्त वर्क आवर के लिए वर्तमान में देय मानदेय की धनराशि रू. 500/– प्रतिमाह के स्थान पर रू. 2,000/– प्रतिमाह किये जाने हेतु वित्त समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही –

प्रकरण का अवलोकन कर समिति द्वारा श्री दलबीर सिंह राणा, कुक का मानदेय रू. 500/– प्रतिमाह के स्थान पर रू. 2000/– प्रति माह करने एवं शेष दो रूम अटेण्डेण्ट श्री पुष्कर भट्ट एवं श्री रमेश कुमार को मानदेय रू. 500/– प्रतिमाह के स्थान पर रू.1,500/– देने की अनुमति समिति द्वारा प्रदान की गयी।

6. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 06**

स्ववित्त पोषित योजनांतर्गत कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की 3 वर्ष एवं 10 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने के उपरांत अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में।

स्ववित्त पोषित योजनांतर्गत कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयबद्ध कोई वित्तीय स्त्रोन्नयन/पदोन्नति की व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.09.2019 की कार्यवाही बिन्दु संख्या–02 पर निर्णय लिया गया था कि स्ववित्त पोषित योजनातंर्गत कार्यरत शिक्षकों को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 12 प्रतिशत की वेतन वृद्धि एवं 03 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य सेवापूर्ण करने वाले शिक्षकों को 08 प्रतिशत की वेतन वृद्धि दिनांक 31 मार्च 2019 से अनुमन्य की गई थी। ऐसे शिक्षक जिनकी तदसमय 10 वर्षो की सेवा पूर्ण नहीं थी और उन्हें 8 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य की गई थी, उन्हें 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 4 प्रतिशत की वेतन वृद्धि (12 प्रतिशत – 8 प्रतिशत = 4 प्रतिशत) स्वीकृत की जानी है।

इसी प्रकार वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.09.2019 की कार्यवाही बिन्दु संख्या–02 पर निर्णय लिया गया था कि स्ववित्त पोषित योजनातंर्गत कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 14 प्रतिशत की वेतन वृद्धि एवँ 03 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य

सेवापूर्ण करने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 10 प्रतिशत की वेतन वृद्धि दिनांक 31 मार्च 2019 से अनुमन्य की गई थी। ऐसे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों जिनकी तदसमय 10 वर्षो की सेवा पूर्ण नहीं थी और उन्हें 10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य की गई थी, उन्हें 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 4 प्रतिशत की वेतन वृद्धि (14 प्रतिशत –10 प्रतिशत = 4 प्रतिशत) स्वीकृत की जानी है।

माननीय वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.09.2019 के बिन्दु संख्या–02 पर लिये गये निर्णय के क्रम में संलग्न विवरण के अनुसार 04 शिक्षकों को 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 08 प्रतिशत की मानदेय में वृद्धि तथा 35 शिक्षकों को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर 04 प्रतिशत (12 प्रतिशत – 8 प्रतिशत) मानदेय में अतिरिक्त वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव मान्नीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही –

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदित किया गया। (सूची संलग्न, कुल–39)

7. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 07**

स्ववित्त पोषित योजनांतर्गत कार्यरत शिक्षकों द्वारा पीएच0डी0 उपाधि प्राप्त करने के उपरांत दी जाने वाली वेतन वृद्धि के सम्बंध में।

विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो अपनी नियुक्ति के समय अर्हता धारक थे तथा पीएच0डी0 हों अथवा जिन्होंने अपने शैक्षणिक कार्यकाल में पीएच0डी0 प्राप्त कर ली है उन्हे शासनादेश संख्या 231/सत्तर–2/2004–16(45)/99 दिनांक 17.01.2004 एवं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक दिनांक 15.02.2006 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16.02.2006 के अनुमोदन अनुसार पीएच0डी0 धारक के रूप में दो वेतन वृद्धियां अनुमन्य की गई हैं। माननीय समिति के निर्णय दिनांक 16.02.2006 के अनुपालन में स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को पीएच0डी0 उपाधि प्राप्त करने पर दो अतिरिक्त वेतन वृद्धिया स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव समय–समय पर वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते रहे है। विश्वविद्यालय में स्व–वित्त पोषित योजनान्तर्गत् कार्यरत 37 शिक्षकों (सूची संलग्न) के द्वारा पीएच0डी0 उपाधि प्राप्त करने पर मानदेय में दो अतिरिक्त वृद्धियों स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव माननीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही –

प्रस्ताव का अवलोकन कर पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त करने वाले कुल 37 शिक्षकों को पीएच0डी0 उपाधि प्राप्त करने की तिथि से दो वेतन वृद्धि दिये जाने की अनुमति समिति द्वारा प्रदान की गई। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में जब भी किसी शिक्षक द्वारा पीएच0डी की उपाधि प्राप्त की जाती है तो उसे शासनादेश अनुसार अर्ह

पाये जाने पर प्रशासनिक स्तर से स्वीकृति आदेश निर्गत कर दिया जाये।

8. **<u>प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 08</u>**

<u>स्ववित्त पोषित योजनांतर्गत कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि एक समान 3 प्रतिशत किये जाने के सम्बंध में।</u>

स्ववित्त पोषित योजनांतर्गत कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को स्वीकृत नियत मानदेय पर प्रत्येक वर्ष विभिन्न पदों के लिए अलग–अलग दर से मानदेय में वृद्धि निर्धारित की गई है। उदाहरण स्वरूप नैत्यिक सहायक को निर्धारित मानदेय रू. 16,000/– पर वृद्धि रू. 450/–, तकनीकी सहायक को निर्धारित मानदेय रू. 25,000/– पर वृद्धि रू. 600/–, अनुचर को निर्धारित मानदेय रू. 14,000/– पर वृद्धि रू. 400/– एवं सहायक आचार्य को निर्धारित मानदेय रू. 39,300/– पर वृद्धि रू. 1000/– प्रतिवर्ष अनुमन्य की जाती है। (सूची संलग्न) । उक्त से स्पष्ट है कि विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अलग–अलग दरों से मानदेय में वृद्धि स्वीकृत की गई है। अतः प्रस्ताव है कि सभी श्रेणी के कर्मियों के मानदेय की प्रतिवर्ष वृद्धि में एकरूपता लाने की दृष्टि से सभी कर्मियों को समान रूप से 3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि आगामी मानदेय वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2022 से स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव माननीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

इसी क्रम में माननीय समिति को यह भी अवगत कराना है कि उक्त 3 प्रतिशत की वृद्धि से विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित शिक्षकों पर रू. 2,10,400/– प्रतिमाह के स्थान पर रू. 3,44,026/– अर्थात रू. 1,33,626/– प्रतिमाह का अतिरिक्त व्यय भार X 12 = 16,03,512/– प्रतिवर्ष तथा स्ववित्त पोषित कर्मचारियों पर प्रतिमाह रू. 71,960/– के स्थान पर रू. 1,29,824/– अर्थात रू. 57,864/– प्रतिमाह का अतिरिक्त व्यय भार X 12 = 6,94,368/– प्रतिवर्ष इस प्रकार कुल धनराशि रू. 22,97,880/– प्रतिवर्ष का अतिरिक्त व्यय भार विश्वविद्यालय पर पड़ेगा, जिसका व्यय भार विश्वविद्यालय द्वारा स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत प्राप्त आय से वहन किया जायेगा।

<u>समिति की कार्यवाही –</u>

समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि कुल मानदेय की धनराशि को निकटतम रूपये में पूर्णांकित किया जाये।

9. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 09**

विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में लिये जा रहे किराये के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में ।

बी.यू.आई.सी. में अतिथियों के ठहरने हेतु विषय विशेषज्ञों के लिए रू. 120/– प्रतिदिन, विश्वविद्यालय स्टाफ के ठहरने के लिए रू. 500/– प्रतिदिन एवं अन्य हेतु रू. 2000/–प्रतिदिन (18 प्रतिशत जी.एस.टी. अतिरिक्त) की दरें लागू हैं। वर्तमान में अन्य स्थानों पर गेस्ट हाउस आदि का किराया काफी अधिक बढ़ गया है, जिसके दृष्टिगत बी.यू.आई. सी में अतिथियों के ठहरने की दरों को निम्नवत् पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव माननीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है–

1. विषय विशेषज्ञों हेतु – रू. 370/– प्रतिदिन

2. विश्वविद्यालय स्टाफ एवं उनके रिश्तेदारों/सरकारीअधिकारियों/ अन्य विश्वविद्यालय/संस्थाओं के अतिथियों हेतु – रू. 900/– प्रतिदिन

3. अन्य अतिथियों हेतु – रू. (2000/– + जी.एस.टी.) प्रतिदिन

समिति की कार्यवाही –

प्रकरण का अवलोकन कर समिति ने विचारोपरांत बी.यू.आई.सी. द्वारा लिए जा रहे किराये में बढ़ोत्तरी कर विषय विशेषज्ञों/विश्वविद्यालय द्वारा बुलवाए गये परीक्षकों, मूल्यांकन आदि हेतु आये हुए शिक्षकों से रू. 400/– प्रतिदिन, विश्वविद्यालय के स्टाफ/उनके द्वारा रूकवाये गये रिश्तेदारों, अन्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/कर्मचारियों एवं सरकारी अधिकारियों से रू. 1,000/– प्रतिदिन तथा अन्य अतिथियों से रू. 2,000/–+ जी.एस.टी. प्रतिदिन किराया लिए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

10. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 10**

विश्वविद्यालय के माइक्रोबॉयोलाजी विभाग में स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम Advance P.G. Diploma in Microbiology and Food Technology सत्र 2022–23 से प्रारंभ किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के माइक्रोबॉयोलाजी विभाग में स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम Advance P.G. Diploma in Microbiology and Food Technology सत्र 2022–23 से प्रारंभ किये जाने की स्वीकृति विद्या परिषद की बैठक में दी गई है। यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम होगा जिसमें छात्रों की कुल संख्या 25 एवं फीस रू. 19,500/– प्रतिछात्र प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है। जिसे माननीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही –

समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

11. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 11**

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं हेतु अतिगोपनीय विभाग से नोडल केन्द्र पर प्रश्न– पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं को ले जाने हेतु लगाये गये कर्मचारियों को दिये जाने वाले दैनिक भत्ते में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के अतिगोपनीय विभाग से नोडल केन्द्रों एवं परीक्षा केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्रश्न–पत्रों को ले जाने हेतु प्रत्येक परीक्षा सत्र में लगभग 25 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। जिनको पूर्व में निर्धारित दैनिक भत्ता रू0 300/– प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाता है। परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 28.08.2021 में परीक्षा नियंत्रक के प्रस्ताव पर दैनिक भत्ता बढ़ाकर रू. 500/– प्रतिदिन प्रदान किये जाने की स्वीकृति माननीय कुलपति जी द्वारा दी गई है। प्रस्ताव माननीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

समिति की कार्यवाही –

समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

12. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 12**

मानदेय विसंगति के सम्बन्ध में।

1. गत वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.10.2021 को विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत कार्यरत पुस्तकालय सहायकों–श्री प्रशांत शर्मा, श्री कृष्णकांत शर्मा, श्री अभिनव सेठ, श्री राजेश कुमार वर्मा, श्री शैलेन्द्र निरंजन, श्री तहसीन तरन्नुम के मानदेय विसंगति प्रकरण को प्रस्तुत किया गया था। जिस पर समिति द्वारा निर्देश दिये गये थे कि वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत किया जाये।

अवगत कराना है कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 04.01.2016 एवं दिनांक 30.03.2016 में विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत् सृजित समस्त पदों हेतु न्यूनतम मानदेय निर्धारित करते हुए दिनांक 01.12.2015 से लागू किया गया है। विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों की भांति उपरोक्त छः कर्मचारियों को भी वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.03.2020 में लिए गये निर्णय अनुसार पुस्तकालय सहायकों का मानदेय रू. 17,000/– निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत कार्यरत पुस्तकालय सहायकों के मानदेय विसंगति के सम्बन्ध में वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.03.2020 के कमांक 15(1) पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुस्तकालय सहायकों का दिनांक 01.04.2020 से मानदेय रू. 17,000/– से बढ़ाकर रू. 23,000/– निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के सभी कार्मिकों को बढ़े हुए मानदेय का भुगतान दिनांक 01.12.2015 से लागू किया गया है। जिसके दृष्टिगत विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा उपरोक्त सभी कर्मियों को बढ़े हुए मानदेय की वार्षिक वेतन वृद्धि की गणना दिनांक

06.01.2016 से करते हुए लाभ दिनांक 01.04.2020 से दिया जाना तर्क संगत एवं उचित बताया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के सभी कार्मिकों को पुनरीक्षित मानदेय का वास्तविक लाभ एवं भुगतान दिनांक 01.12.2015 से ही स्वीकृत किया गया है एवं यदि उपरोक्त छः कर्मचारियों को वास्तविक लाभ दिनांक 01.12.2015 से नहीं दिया जाता है तो उनके साथ अन्याय होगा एवं असन्तोष रहेगा। अतः नैसर्गिक न्याय अन्तर्गत् उपरोक्त सभी कर्मियों को दिनांक 01.12.2015 से बढ़े हुए मानदेय का निर्धारण एवं भुगतान स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव माननीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही–

प्रस्ताव का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। जिसके उपरांत पुस्तकालय सहायकों के वेतन विसंगति के निराकरण हेतु वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मा. कुलपति जी द्वारा उक्त प्रकरण पर एक समिति गठित कर परीक्षण कराकर प्रस्ताव को पुनः आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

2. श्री साबिर अली, सिस्टम एनालिस्ट की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.09.2017 के बिन्दु संख्या–13.2 में निम्न निर्णय लिया गया था–

"विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत कार्यरत सिस्टम एनालिस्ट श्री साबिर अली के प्रत्यावेदन पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सिस्टम एनालिस्ट पद शिक्षक के पद के सम्तुल्य है। अतएव शिक्षक पद हेतु न्यूनतम निर्धारित रू. 39300/– मानदेय श्री साबिर अली को दिये जा रहे वर्तमान मानदेय रू. 25,000/– के स्थान पर रू0 39,300/– दिया जाये। यह बढ़ोत्तरी दिनांक 01.10:2017 से प्रभावी होगी, इसका कोई एरियर नहीं दिया जायेगा।"

अवगत कराना है कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 04.01.2016 एवं दिनांक 30.03.2016 में विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत् सृजित समस्त पदों हेतु न्यूनतम मानदेय निर्धारित करते हुए दिनांक 01.12.2015 से लागू किया गया है। परंतु कुछ कर्मचारियों के छूट जाने के कारण, नियमानुसार वेतन निर्धारण न हो पाने के कारण मानदेय निर्धारण में विसंगति बनी रही जिसका समाधान समय–समय पर किया जाता रहा है। इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि छः पुस्तकालय सहायकों को भी उपरोक्त बिन्दु संख्या–01 में दिनांक 01.12.2015 से ही मानदेय निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रस्ताव है कि उक्तानुसार ही श्री साबिर अली, सिस्टम एनालिस्ट का मानदेय निर्धारण एवं भुगतान दिनांक 01.12.2015 से बढ़े हुए मानदेय का निर्धारण एवं भुगतान स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव माननीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही –

समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

3. श्री हसमत, पूल सहायक स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत कार्यरत है। जिन्हें चतुर्थ श्रेणी के मानदेय का लाभ पूर्व में नहीं दिया गया है। श्री हसमत कुलसचिव के आदेश संख्या बु0वि0/आर0सी0/2021/9824 दिनांक 18.12.2021 के द्वारा वित्त अधिकारी कार्यालय में पूर्णकालिक रूप से तैनात हैं। अतः इन्हें वित्त समिति की बैठक दिनांक 04.01.2016 के निर्णय के क्रम में चतुर्थ श्रेणी हेतु निर्धारित न्यूनतम मानदेय रू. 14,000/- दिनांक 18.12.2021 से स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव माननीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही –

समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

13. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 13**

मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने एवं अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं द्वारा किये गये उच्च गुणवत्ता के प्रोजेक्ट कार्यों/डेजरटेशन वर्क को बढ़ावा देने की दृष्टि से निम्न प्रस्ताव माननीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है-

1. विश्वविद्यालय परिसर के परास्नातक प्रथम वर्ष के प्रत्येक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं में से प्रवेश के समय अधिकतम अंक (प्रथम स्थान) प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रू. 15,000/- प्रति की दर से प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति धनराशि (एकमुश्त) प्रदान की जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक परास्नातक पाठ्यक्रम से प्रथम वर्ष के एक छात्र एवं एक छात्रा को उक्तानुसार कुल रू. 30,000/- की छात्रवृत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि सम्बन्धित पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत सीटें भर गई हो। यह छात्रवृत्ति केवल प्रथम वर्ष के सभी संचालित परास्नातक पाठ्यक्रम के छात्र-छात्राओं को देय होगी।

2. विश्वविद्यालय परिसर में संचालित परास्नातक एवं स्नातक के समस्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं में से प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रोजेक्ट वर्क/डिजरटेशन वर्क (जिन पाठ्यक्रम में लागू हो) में से प्रत्येक पाठ्यक्रम से सबसे उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापरक एक प्रोजेक्ट/ डिजरटेशन वर्क के लिए रू. 10,000/- की प्रोत्साहन धनराशि (एकमुश्त) इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि सम्बन्धित पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत सीटें भरी हो।

उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही निदेशक-एकेडमिक के स्तर से कराई जायेगी।

उपरोक्त प्रस्ताव माननीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही –

समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

14. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 14**

विश्वविद्यालय के शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में नियमित श्रेणी के 30 शिक्षक एवं 139 शिक्षणेत्तर कर्मचारी तथा स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत 200 शिक्षक एवं 165 शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्हें किसी प्रकार के चिकित्सा भत्तें का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाता है। साथ ही इन शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। हम सभी अवगत है कि पिछले दिनों कोरोना महामारी में विश्वविद्यालय के 08 शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देहांत हो गया। साथ ही अनेकों कर्मियों के परिवारों ने अपने सगे सम्बन्धियों को खोया है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य बीमार हुए और अपनी जमा पूंजी की एक बड़ी धनराशि इलाज पर व्यय की गई । विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान न होने के कारण उपरोक्त कर्मियों की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई।

अतः विश्वविद्यालय की ओर से अपने नियमित एवं स्ववित्त पोषित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए व्यापक जनहित में प्रस्ताव है कि प्रत्येक कर्मी (पति, पत्नी एवं आश्रित पुत्र–पुत्रियां) को रू. 5 लाख का मेडीक्लेम/स्वास्थ्य बीमा की सुविधा इस शर्त के साथ प्रदान कर दी जाये कि इंश्योरेंस कम्पनी को भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम की 50 प्रतिशत धनराशि कर्मचारियों द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। कर्मचारियों से 50 प्रतिशत प्रीमियम की धनराशि की कटौती उनको देय वेतन/मानदेय से छः मासिक किश्तों से की जायेगी परंतु बीमा कम्पनी को विश्वविद्यालय द्वारा एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। यह सुविधा किसी पर बाध्यकारी नहीं होगी एवं इच्छुक कार्मिकों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर समयांतर्गत अपने परिवार के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कसनी होगी। समय सीमा समाप्त होने के पश्चात कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा। यह सुविधा वर्ष 2022–23 के लिए प्रस्तावित की जा रही है, जिसकी समीक्षा समय–समय पर की जायेगी। बीमा कम्पनी का चयन निविदा के माध्यम से न्यूनतम प्रीमियम लेने वाली बीमा कम्पनी से किया जायेगा।

माननीय समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही–

प्रकरण के अवलोकन उपरांत समिति द्वारा इन निर्देशों के साथ कि मेडीक्लेम/स्वास्थ्य बीमा की धनराशि रू. 2 लाख एवं रू. 5 लाख रखी जाये। जिससे कि यदि कोई कर्मी रू. 2 लाख का बीमा कराना चाहता है तो वह रू. 2 लाख का बीमा भी करा सके, के निर्देशों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

15. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 15**

विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षकों को शासनादेश संख्या 600/सत्तर–1–2019–16(114)/201 दिनांक 28.06.2019 के अनुसार पीएच0डी0 उपाधि प्राप्त करने उपरांत दिये जाने वाली वेतन वृद्धियां अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग में कार्यरत शिक्षक डॉ0 ईरा तिवारी, सहा0 आचार्य और पर्यटन एवं होटल प्रबंधन संस्थान में कार्यरत डॉ0 महेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार पीएच0डी0 उपाधि प्राप्त करने के उपरांत दी जाने वाली वेतन वृद्धि की मांग की गई है। उक्त शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.07.2018 में उल्लिखित पीएच0डी0 से सम्बन्धित 05 अतिरिक्त वेतन वृद्धि की मांग की गई है।

सूच्य है कि उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 600/सत्तर–1–2019–16(114)/201 दिनांक 28.06.2019 के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त अधिसूचना दिनांक 18.07.2018 को विभिन्न शर्तों के साथ लागू किया गया है। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–13 के अनुसार पीएच0डी0/एम0फिल0 एवं अन्य शैक्षिक योग्यताओं हेतु इसेंटिव के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेशों के माध्यम से निर्धारित व्यवस्था लागू करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–231/सत्तर–2/2004–16(45)/99, दिनांक 17.01.2004 के अनुसार विभिन्न शर्तों के अंतर्गत पीएच0डी0 उपाधि प्राप्त करने के उपरांत दो वेतन वृद्धियां अनुमन्य किये जाने का प्रावधान है। अतः शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के अनुसार सम्बन्धित के प्रत्यावेदन के परीक्षणोपरांत प्रशासनिक स्तर से वेतन वृद्धि आदेश निर्गत किये जाने का प्रस्ताव माननीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही–

समिति द्वारा प्रकरण के अवलोकन उपरांत स्वीकृति प्रदान करते हुए उ0प्र0 शासन के आदेशानुसार प्रशासनिक स्तर से स्वीकृति आदेश निर्गत करने के निर्देश दिये गये।

16. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 16**

विश्वविद्यालय द्वारा कम अवधि के सर्टिफिकेट प्रोग्राम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय द्वारा छात्र–छात्राओं में रोजगार परक एवं कौशल विकास के लिए अल्पावधि के वोकेशनल/स्किल डेवलपमेंट/अन्य सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम विभिन्न विभागों में संचालित किये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन है। इन अल्पावधि के वोकेशनल/स्किल डेवलपमेंट/अन्य सर्टिफिकेट प्रोग्राम एक माह से तीन माह की अवधि के होंगे, की कोर्स अवधि एवं ट्रेड के अनुसार रू.

5,000/– से रू. 15,000/– तक प्रति कोर्स शुल्क निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है।

इसी प्रकार डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम एक वर्ष की अवधि के होंगे, ट्रेड के अनुसार रू. 10,000/– से रू. 25,000/– तक प्रति कोर्स शुल्क निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है।

कृपया प्रस्ताव माननीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही–

प्रस्ताव का अवलोकन कर समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

17. प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 17

विश्वविद्यालय की बचत की धनराशि को रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत बॉण्ड में निवेश किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में अपनी बचतों को भारतीय स्टेट बैंक, एच0डी0एफ0सी0 बैंक एवं एक्सिस बैंक में धनराशियां एफ0डी0आर0 के रूप में निवेश की गई हैं। एफ0डी0आर0 में ब्याज दरें लगभग 5.20 प्रतिशत प्रतिवर्ष है, जबकि रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत किये जाने वाले बॉण्ड में वार्षिक रिटर्न लगभग 6.5 से 7.0 प्रतिशत की दर से आती है। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय को शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है जबकि बचतों को उच्च ब्याज दरों पर निवेश करने से विश्वविद्यालय को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

समिति के समक्ष प्रस्ताव इस आशय से प्रस्तुत किया जा रहा है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर समिति की अनुमति के पश्चात उपरोक्त प्रस्ताव पर शासन के प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर निवेश की कार्यवाही की जायेगी। कृपया प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही–

प्रस्ताव का अवलोकन कर समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

18. प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 18

अन्य प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

18.1 समन्वयक, आई.क्यू.ऐ.सी. द्वारा निम्नवत प्रस्तावित विजिटिंग फैकल्टी को दिए जाने वाले मानदेय पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में

"This is to bring to your kind notice that the IQAC and other Cells of the University invite eminent experts from various Central and State Government regulatory bodies and institutions of national importance.

In view of the brand image of the University as well as recognize the status of the expert, we would like to submit below the proposed rates for honorarium for offline as

well as online Workshops and Seminars; as are prevalent in leading institutions and norms of National Project Implementation Unit of Govt. of India:

NORMS FOR PAYMENT OF HONORARIUM TO GUESTS FOR LECTURE/SEMINAR/ WORKSHOP/ MEETING ETC.

These guidelines shall be applicable for paying honorarium to the Experts invited from institute/ industry for delivering lectures in Workshop/ Seminar or delivering key note address in conferences/ symposia or attending meetings of various statutory authorities like BoS, Examination Committee, Academic Council, BoG (Under UGC autonomous guidelines), Industry Consultation Committee etc.

Principal/Professors /or Equivalent grade experts from Institutions of National Importance (INIs), Central Universities , Industry Expert and Regulatory bodies :	Rs. 5000/- per day/ meeting
Professors/Equivalent grade Experts from Institutions of Leading State/Deemed Universities and other reputed organization, agencies / institutions :	Rs. 4000/- per day /Meeting
Associate Professor/ Equivalent grade Experts from Institutions of National Importance (INIs), Leading State/Deemed Universities, Industry Expert and Regulatory bodies	Rs. 3000/- Per day/ Meeting
Asst. Professors/Equivalent grade Experts from Institutions of Leading State/Deemed Universities and other reputed organization, agencies / institutions :	Rs. 2000/- per day /Meeting

The following Documents, duly certified by coordinator of the program and Head of division may be submitted for processing bills

1. Report on measurable outcomes attained
2. Biodata of Resource persons with their affiliation
3. Consolidated evaluation / feedback collected from participants
4. Consolidated attendance statement of the participants"

समिति की कार्यवाही –

समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

18.2 ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट सेल के प्रस्ताव पर असि0 प्रोफेसर के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति एवं मानदेय दिये जाने पर समिति द्वारा अनुमति प्रदान की गयी।

"**In view of the forthcoming Fourth Cycle of NAAC Accreditation; recommendations of the Peer Team during the Third Cycle as well as provisions of New Education Policy which envisages OUTPUT BASED education,** I would like to submit the following logic note to ensure smooth and consistent functioning of the Training & Placement activities of the University for your perusal and kind consideration.

Logic Note on Training & Placement Activities

More than 75% of the courses being run by the University are employment oriented and professional in nature. Due to Covid as well as other unavoidable reasons, the ratio of placement got affected adversely. This deteriorating ratio can affect the admissions adversely specially in the field of Pharmacy, Engineering, Management, Commerce and other applied subjects like Food Technology, Forensic Science etc.

Due to limited exposure to corporate world and other academic and administrative responsibilities, it becomes difficult for the faculty members bestowed with the additional job of training and placement activities to derive good results and output in terms of number of placements. Therefore it becomes imperative that the University makes provision for position of a Training and Placement Officer on Self Finance Scheme initially in the scale of Asstt. Professor. The position can be scaled up to Director, Training and Placement based on the performance of the Training and Placement Cell.

Objective

- Training and Placement activities are mandatory for higher education institutions especially in view of NEP 2020 which emphasizes on output based education. Apart from this, it needs to be an integral part of academics for institutions offering professional and vocational programmes as per the norms of NAAC, NIRF and other ranking and requirements of regulatory agencies like AICTE, PCI, COA and others.
- The placement ensures brand image
- Moral duty and Social Responsibility of the Institution
- Providing skilled manpower to the region and country
- Attracting more admissions is essential in view of sustenance of Self Finance Scheme courses
- Continuous Training enhances the chances of placement

To impart training and facilitate campus drives for recruitment by various institutes, the University had entered into MOU with leading training and placement consultants to impart training to the students of following courses:

1. Institute of Engineering and Technology	B. Tech. (E&C.), (CSE), (Mech.), (Biotech.) (Food Tech.), (IC) and (Biomed.)
2. Institute of Pharmacy	M.Pharma, B.Pharma, &

	D. Pharma
3. Institute of Management Studies	M.B.A., B.B.A.
4. Institute of Economics and Finance	M.B.A. (All Branches), B.Com. (H) M.Com.
5. Institute of Mathematics and Computer Applications	M.C.A. and B.C.A.
6. Institute of Social Sciences	M.S.W.
7. Institute of Tourism and Hotel Management	M.T.T.M., M.B.A.(CT), B.H.M., B.T.A.
8. Institute of Agriculture Sciences	B.Sc. Agril., M.Sc. Agril.
9. Institute of Basic Sciences	B.Sc. (Maths), B.Sc. (Bio.), M.Sc. Chemistry & M.Sc. Physics
10. Institute of Life Sciences – 11. Department of Biotechnology Science,	M.Sc. (Biotechnology), B.Sc.
12. Institute of Biomedical Sciences	B.Sc. & M.Sc. (Biomedical Sciences)
13. Institute of Forensic Sciences	B.Sc. & M.Sc. Forensic Sciences
14. Institute of Food Science Technology	B.Sc. & M.Sc. (Food Sc. Technology)
15. Institute of Earth Sciences	B.Sc. & M.Sc. (Geology)
16. Institute of Environment & Dev. Studies	M.Sc. Env & Dev. Studies

IMPACT

There had been a considerable increase in the placements of students of various professional streams in organizations of repute. The brand image of the University was improved in corporate and industrial sector.

BENEFITS

The placement ratio plays a pivotal role in rank upgradation of the University during NAAC accreditation. Such good practices are cutting

edge for the institution apart from contributing towards regional development.

BUDGETARY PROVISIONS

An amount of Rs.1000/- per student per annum is being charged in the annual fee at the time of admission from the students of above streams towards Training & Placement Fee. The students from 7 branches of Engineering and MCA and BCA are being charged an additional fee of Rs.1000/- towards Domain Skill Training. Approximately 40 lacs per annum are generated through the T&P Fee contribution of the students from the above streams.

The annual expenditure on the remuneration of the Training and Placement Officer may be approximately 6 lacs per annum in Asstt. Professor level under Self Finance Scheme.

Expenditure Heads of Training & Placement

i. Remuneration of the Training and Placement Officer
ii. Cost of Soft Skill Development Training to all above mentioned departments
iii. Provision of reimbursement of TA/DA AC I & II tier or Flight in some cases, and free boarding and lodging and local transportation as was approved earlier.
iv. Hospitality and Contingency Expenditure for organizing Campus drives by various companies and consultants

THE PROPOSAL

To make necessary provision for continuous training of the students and to ensure placements of the students in relevant sectors, the following is submitted for kind consideration and approval.

i. **The University may**

EITHER

invite proposals from Leading Professional Training And Placement Consults to conduct soft skill training for all branches mentioned above

OR

hire a competent professional with Management Degree and sound Corporate contacts and Background as Training and Placement Officer on competitive remuneration.

ii. Separate Annual Budget for Training & Placement activities be maintained

Functions of the Training & Placement Consultant/Officer

i. The hired/recruited Consultant/T&P Officer shall prepare annual Training and Placement Calendar/Schedule to ensure uninterrupted training as well as academic activities

ii. Make provision for acquiring quality trainers and faculty as well as interactive class and lab study material for the students of all streams of Engineering

iii. Prepare Inventory of corporate houses, HR Consultants & industries for campus drives as well as guest lectures. The concerned HOD / Coordinator may also be consulted to suggest names of the industrial experts.

iv. Enter into MOUs under PPP with leading industries for Training

v. Ensure strong Academia industry interactions

Submitted for kind approval by the Finance Committee please."

समिति की कार्यवाही –

समिति द्वारा ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट के लिए आवश्यक मेनपॉवर आउट सोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्रदाता से लिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

18.3 परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जब किसी महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाकर सम्पन्न कराई जाती है तो निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र के शिक्षकों व कार्मिकों को परीक्षा पारिश्रमिक दिया जाता रहा है।

क– छात्र संख्या 500 तक पर 90 रूपये प्रति छात्र की दर से।

ख– छात्र संख्या 500 से 1000 तक पर 85 रूपये प्रति छात्र की दर से।

ग– छात्र संख्या 1000 से अधिक होने पर 80 रूपये प्रति छात्र की दर से।

उक्त प्रकार से आगणित धनराशि के 80 प्रतिशत का आंशिक भुगतान सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र को एकमुश्त किया जाता था। शेष 20 प्रतिशत का भुगतान केन्द्राध्यक्ष द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता था।

सूच्य है कि राज्यपाल उ0प्र0 सचिवालय के पत्र संख्या ई–1704/जी.एस. दिनांक 23.03.2022 द्वारा इस आशय के निर्देश प्रदान किये गये है कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा हेतु विभिन्न महाविद्यालयों को उनके यहां स्थापित परीक्षा केन्द्र पर आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या और प्रति परीक्षा के लिए निर्धारित दर के आधार पर गणना करके केन्द्र व्यय हेतु सकल राशि परीक्षा आरंभ होने से पूर्व एकमुश्त दे दी जाये। यह धनराशि अग्रिम के रूप में नहीं होगी और न ही इसका समायोजन अपेक्षित होगा। वरन परीक्षा उपरांत इसका उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

उक्त पत्र में इस आशय के निर्देश भी प्राप्त किये गये है कि केन्द्राध्यक्ष/सहा0 केन्द्राध्यक्ष तथा कक्ष- निरीक्षक के पारिश्रमिक का भुगतान इनकी वास्तविक उपस्थिति के आधार पर किया जायेगा। साथ

ही इनके पारिश्रमिक का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि परीक्षा केन्द्र में परीक्षा के सहज सम्पादन हेतु चौकीदार, जलाहारक, दफ्तरी, स्वच्छकार, विद्युत कर्मी व चपरासी को भी योजित किया जाता है तथा इनको कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर में 45 रूपये प्रतिपाली की दर से शासन द्वारा निर्धारित केन्द्र व्यय के अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। साथ ही परीक्षा केन्द्र में प्रति पाली की परीक्षाओं के बण्डल बनाने हेतु मार्कीन आदि स्टेशनरी का उपयोग किया जाता है। जिसके लिए कानपुर विश्वविद्यालय में रू. 5/– प्रति छात्र की दर से आनुषंगिक व्यय का भुगतान भी सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र को किया जाता है। इसके अतिरिक्त उक्त विश्वविद्यालय में आसन व्यवस्था व अंकपत्र वितरण करने के लिए कर्मचारियों को क्रमशः रू. 1 व 2 प्रतिछात्र की दर से भुगतान किया जाता है। राज्यपाल उ0प्र0 सचिवालय के उक्त पत्र के कियान्वयन के कारण विश्वविद्यालय द्वारा एकमुश्त पारिश्रमिक भुगतान की उक्त प्रकिया रोक दी गई है।

उक्त के आलोक में परीक्षाओं को सहजतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए व्यापक विचार–विमर्श के बाद समिति कानपुर विश्वविद्यालय में लागू उक्त व्यवस्था में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इस विश्वविद्यालय में लागू करने की अनुमति प्रदान की है। उक्त वृद्धि इस लिए आवश्यक है कि कानपुर विश्वविद्यालय की उक्त दरें एक दशक से अधिक पुरानी हैं। जिसके दृष्टिगत दरों में 20 प्रतिशत की वृद्धि निम्न विवरणानुसार की जाती है–

क्रम सं.	पद नाम	पारिश्रमिक दर (कानपुर विश्वविद्यालय के अनुसार)	20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पारिश्रमिक की संशोधित दर
1	चौकीदार	रू. 45 प्रतिपाली	रू. 54 प्रतिपाली
2	स्वच्छता कर्मी	रू. 45 प्रतिपाली	रू. 54 प्रतिपाली
3	दफ्तरी	रू. 45 प्रतिपाली	रू. 54 प्रतिपाली
4	चपरासी	रू. 45 प्रतिपाली	रू. 54 प्रतिपाली
5	जलाहारक	रू. 45 प्रतिपाली	रू. 54 प्रतिपाली
6	विद्युत कर्मी	रू. 45 प्रतिपाली	रू. 54 प्रतिपाली
7	आसन व्यवस्था	रू. 1 प्रति छात्र	रू. 1.20 प्रति छात्र
8	अंकपत्र वितरण	रू. 2 प्रति छात्र	रू. 2.40 प्रति छात्र
9	आनुषंगिक व्यय	रू. 5 प्रति छात्र	रू. 6 प्रति छात्र

<u>समिति की कार्यवाही –</u>

समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

18.4 भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 25.03.2022 की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

भवन समिति की बैठक दिनांक 25.03.2022 में निम्न निर्माण कार्य विश्वविद्यालय द्वारा अपनी पूर्व की बचतों से (अनुमानित निर्माण लागत रू. 14 करोड़) कराये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

1. इन्क्यूबेशन सेन्टर की स्थापना हेतु शासन द्वारा आदेशित किया गया है जिसमें लगभग 10 हजार वर्ग फिट के भवन का निर्माण किये जाने आवश्यकता है उपरोक्त भवन का विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन तैयार करने के आदेश प्रदान किये गये जिस हेतु अनुमानित रू0 5.00 करोड का प्रावधान किया जाए।
2. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में सेन्टर फार एडवान्स स्टडीज के अर्न्तगत बायोमेडिकल साइन्स एवं आयुर्वेद केन्द्र स्थापित किया जाना है उपरोक्त केन्द्र हेतु एक भवन का निर्माण (अनुमानित लागत 04 करोड़) किए जाने की आवश्यकता है सम्पत्ति विभाग को भवन का विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन बनाए जाने हेतु अगली भवन निर्माण समिति में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।
3. विश्वविद्यालय में सेन्टर ऑफ एडवान्स स्टडीज इन रोवोटिक्स एवं ई–वाहनयोजना, 4.0 इनोवेशन एवं इन्सटीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की स्थापना की जानी है इस हेतु सम्पत्ति विभाग को आदेशित किया गया कि उपरोक्त हेतु भवन के निर्माण की विस्तृत योजना प्रस्तुत करें तथा इस हेतु अनुमानित लागत रू0 05 करोड़ होगी।

समिति की कार्यवाही –

समिति द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी। आवश्यकता एवं औचित्य के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करने, वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक अंतर्गत पूंजीगत व्यय मद में रू. 14 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की अनुमति के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

समिति के सदस्यों को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

29/03/2022

(वसी मोहम्मद)
वित्त अधिकारी
सचिव (वित्त समिति)

29/03/22

(प्रो. मुकेश पाण्डेय)
कुलपति
अध्यक्ष (वित्त समिति)

English Translation

Minutes of Meeting of the FINANCE COMMITTEE Dated 29.03.2022

Decisions Related To Award Of Scholarships

(Page No. 03 , Point No. 4)

A Scholarship of Rs.15,000/- p.m. to a Ph.D. scholar who scores highest marks in the merit list of the respective subject . This scholarship shall be awarded for all the 24 subjects offered by the University for Ph.D. Program.

(Page No. 10 , Point No. 13 .1)

Meritorious Students (one female and one male) scoring highest marks In the University Entrance Exam shall be awarded one time scholarship of Rs. 15,000/- each. This scholarship shall be awarded to one male and one female student of each PG Program running in Bundelkhand University campus.

(Page No. 10 , Point No. 13 .2)

A One- time scholarship of Rs. 10,000/- shall be awarded to the student presenting the best project / dissertation work in the final year of their UG or PG program. This scholarship shall be awarded separately for each such program where project /dissertation work is part of their curriculum.